पत्रांक–10/स्थापना व्यय आ0–25/2024–25 70/311 रा0,

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

चन्द्रशेखर,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
राँची।

राँची, दिनांक– 30-9-2024

विषयः– **स्थापना व्यय मुख्यशीर्ष–2053–जिला प्रशासन, लघुशीर्ष–093–जिला स्थापनाएँ, उपशीर्ष–01–जिला प्रशासन के अंतर्गत अन्य व्यय इकाई विपत्र कोड–40S20530009301000759 में वित्तीय वर्ष 2024–25 में भुगतान हेतु कुल ₹2,35,00,000/– (दो करोड़ पैंतीस लाख रूपये) मात्र का आवंटन।**

महाशय,

विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में उपायुक्त, राँची के पत्रांक–679 (ii)/नजा0, दिनांक–20.08.2024 से प्राप्त अधियाचना के आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर SLP (Civil) No.-12351/2023 से उदभूत सिविल अपील संख्या–6436/2023 में दिनांक–03.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में वाद से संबंधित सभी 22 प्रतिवादियों/आश्रितों को एकमुश्त राशि का भुगतान हेतु कुल ₹2,35,00,000/– मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. इस राशि को झारखण्ड आकस्मिकता निधि (JCF) से अग्रिम के रूप में वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या–28/JCF-02/21-22, दिनांक–24.09.2024 द्वारा प्राप्त कर दी जा रही है।

3. इसपर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–20.09.2024 के मद संख्या–07 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

4. इस राशि का ऑन लाईन आवंटन जिला के संबंधित डी0डी0ओ0 कोड RNCLDR 025 में दिया गया है।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998, 322/वि., दिनांक–28.01.2002, 1800/वि., दिनांक–15.07.2003 एवं 257/बजट, दिनांक–21.03.2024 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

6. आवंटित राशि का व्यय विचलन द्वारा किसी अन्य मद में करना वित्तीय अनियमितता होगी जिसकी सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

PTO

7. राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मांग संख्या–40 के अतिरिक विपत्र कोड का उल्लेख किया जाय तथा व्यय विवरणी टी.भी. नम्बर एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

8. आवंटित राशि की निकासी, हुए व्यय के अनुरूप प्रत्येक माह की जाय।

9. अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक–31.03.2025 तक अवश्य कर दिया जाय।

10. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन,

30/IX

(चन्द्रशेखर)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 70/3/11 राँची, दिनांक– 30-9-2024

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/जिला कोषागार पदाधिकारी, राँची/विभागीय प्रशाखा–03 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/X/XXIV

सरकार के सचिव।